संख्या:-46/2024/1791/78-1-2024-1099/418/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4-प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायतशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2024**

विषयः-दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रुल्स 2016" निर्गत किये गये हैं, जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-852/78-1-2018-45आई0टी0/2016, दिनांक 15 जून, 2018 द्वारा अंगीकृत करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- उक्त अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा 5जी रोलआउट के क्रियान्वयन की महत्ता के दृष्टिगत आवश्यक बिन्दुओं को समाहित करते हुए अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं, जिन्हें आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-17/2023/1305/78-1-2023/45आई0टी0/2016, दिनांक 10 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किया गया।

4- इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम-2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2023 को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-516/78-1-2024-1099/418/2019, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पुनः अंगीकृत किया गया है।

5- तत्क्रम में संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम 2024 हेतु अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को निर्गत की गई है, जो 01 जनवरी, 2025 से प्रवृत्त होंगे, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु समाहित किये गये हैः-

(1) प्रत्येक सार्वजनिक इकाई इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर इन नियमों के प्रयोजनों के लिये पोर्टल पर अपना नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगी और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ऐसे अधिकारी के किसी प्रतिस्थापना को भी सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा ऐसे प्रतिस्थापना के सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) यदि किसी सुविधा प्रदाता को आवेदन करने के लिये सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होती है:-

(क) सुविधा प्रदाता ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर दिये गये प्रारूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण के लिये अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिये सुविधा प्रदाता से कोई शुल्क नहीं लेगी जैसा कि अनुसूची के भाग-1 में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति को अस्वीकृत किये जाने पर सार्वजनिक इकाई के अधीन भुगतान किये गये शुल्क का 90% (नब्बे प्रतिशत) अस्वीकृति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।

(4) यदि सार्वजनिक इकाई के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने के कारण हैं, तो वह आवेदन प्राप्त होने के 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे कारणों को पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता उस दिन से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारणों पर प्रतिक्रिया देगा।

6- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश में पूर्णतः लागू किये जाने के संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

http/5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।